



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225672
CG-DL-E-05032021-225672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 953]
No. 953]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का. आ. 1038(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4534 (अ) तारीख 8 दिसम्बर, 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 14 दिसम्बर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22.12.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : गुंटूर				राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. कोगंटीवारीपालेम	अचमपेट	33	00	04
2	2. ओर्वकल्लु	अचमपेट	180	00	11
3	3. चीगुरुपाडु	अचमपेट	179/2/3	00	13
4			179/2/4	00	02
5			179/1ए	00	14
6	4. वेलपूरु	अचमपेट	397	00	04
7			447/सी3बी	00	01
8			437	00	02
9			272/1सी2	00	03
10			272/2ए	00	01
11			261बी/25	00	07
12			261बी/3	00	03
13			514	00	04
14			516/ए2	00	01
15			517/3सी	00	01
16	5. अनंथवरम	क्रोसूरु	81/4	00	01
17			81/3	00	03
18			73/6ए	00	01
19			70/2सी	00	02
20			70/2बी	00	03
21			70/2ए	00	01
22			15/9बी2	00	01
23			23/3ए	00	01
24			36/1	00	23
25	6. राजुपालेम	राजुपालेम	118/1ए	00	12
26	7. चल्लगुंडल	नेकरिकल्लु	378/2	00	06

27	8. मुप्पाल्ल	इपुरु	24/बी	00	02
28			22/2बी	00	02
29			61	00	02
30			60/बी	00	01
31			56/सी	00	12
32			113	00	02
33			131/बी	00	08
34			115/2	00	01
35			122/3ए	00	06
36			350	00	02
37			329/सी	00	02
38	8. गुंडेपल्ले	इपुरु	121	00	46

[फा. सं. आर-11025/(15)/6/2017-ओ.आर-I/ई-18464]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 1038(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.4534(E) dated the 8th December, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 14th December, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 22.12.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline

SCHEDULE

District : Gunturu				State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	1.Kogantivari Palem	Achampet	33	00	04
2	2.Orvakallu	Achampet	180	00	11

3	3.Chigurupadu	Achampet	179/2/3	00	13
4			179/2/4	00	02
5			179/1A	00	14
6	4.Velpuru	Achampet	397	00	04
7			447/C3B	00	01
8			437	00	02
9			272/1C2	00	03
10			272/2A	00	01
11			261B/25	00	07
12			261B/3	00	03
13			514	00	04
14			516/A2	00	01
15			517/3C	00	01
16	5.Anantavaram	Krosuru	81/4	00	01
17			81/3	00	03
18			73/6A	00	01
19			70/2C	00	02
20			70/2B	00	03
21			70/2A	00	01
22			15/9B2	00	01
23			23/3A	00	01
24			36/1	00	23
25	6.Rajupalem	Rajupalem	118/1A	00	12
26	7.Challagundla	Nekarikallu	378/2	00	06
27	8.Muppala	Ipuru	24/B	00	02
28			22/2B	00	02
29			61	00	02
30			60/B	00	01
31			56/C	00	12
32			113	00	02
33			131/B	00	08
34			115/2	00	01
35			122/3A	00	06
36			350	00	02
37			329/C	00	02
38	9.Gundepalle	Ipuru	121	00	46

[F. No. R-11025/(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी 2021

का. आ. 1039(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4529(अ) तारीख 08 दिसंबर, 2020, जो भारत के राजपत्र तारीख 14 दिसंबर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24.12.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : वैएसअर				राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. संचराला	पोरुमामिल्ला	701	00	49
2			702	00	85
3	2. अक्कलरेड्डीपल्ले	पोरुमामिल्ला	1362/1	00	11
4	3. कोरुपाटुपल्ले	पोरुमामिल्ला	4/1	00	28
5			4/13	00	19
6			4/14	00	37

7			4/15	00	15
8			4/16	00	19
9			4/17	00	26
10			75/4	00	23
11			75/5	00	06
12			81/1	00	03
13	4. चेन्नवरम	श्री अवधूत काशिनायन	2081	00	03
14	5. इटिगुल्लपाडु	श्री अवधूत काशिनायना	1278	00	52
15			1280	00	53
16			1281	00	65
17			1210	02	31
18			1003	00	03
19	6. मल्लेपल्ले	ब्रह्मंगारिमठम्	55/9	00	03
20	7. मुदिरेड्डीपल्ले	एस. मैदुकूरु	57/पी1ए2	00	12
21	मुदिरेड्डीपल्ले (जारी)	एस. मैदुकूरु	57/पी1बी	00	27
22			70/पी2	00	44
23			73/पी4	00	18
24			73/पी6	00	13
25			82/2	00	10
26			293/ए पी2	00	57
27			295/1पी1	00	39
28	8. ओनिपेट्टा	एस. मैदुकूरु	1695/1	00	21
29	9. पत्तूरु	खाजीपेट	468	00	02
30			614	00	07
31			615	00	04
32			888ए	00	14
33	10. पुल्लूरु	खाजीपेट	77/ए5	00	10
34			77/ए6	00	09

[फा. सं. आर-11025/(15)/6/2017-ओ.आर-I/ई-18464]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 1039(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.4529(E) dated the 8th December, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred

to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 14th December, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 24.12.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline

SCHEDULE

District : YSR				State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	<u>1. Sancharala</u>	Porumamilla	701	00	49
2			702	00	85
3	<u>2. Akkalreddipalle</u>	Porumamilla	1362/1	00	11
4	<u>3. Korrapatupalle</u>	Porumamilla	4/1	00	28
5			4/13	00	19
6			4/14	00	37
7			4/15	00	15
8			4/16	00	19
9			4/17	00	26
10			75/4	00	23
11			75/5	00	06
12			81/1	00	03
13	4.Channavaram	Sri Avadhutha Kasinayana	2081	00	03
14	<u>5. Itigullapadu</u>	Sri Avadhutha Kasinayana	1278	00	52
15			1280	00	53
16			1281	00	65
17			1210	02	31
18			1003	00	03

19	<u>6. Mallepalle</u>	Brahmamgarimattam	55/9	00	03
20	<u>7. Mudireddipalle</u>	S.Mydukur	57/P1A2	00	12
21			57/P1B	00	27
22			70/P2	00	44
23			73/P4	00	18
24			73/P6	00	13
25			82/2	00	10
26			293/AP2	00	57
27			295/1P1	00	39
28	<u>8. Onipenta</u>	S.Mydukur	1695/1	00	21
29	<u>9. Pathur</u>	Khajipet	468	00	02
30			614	00	07
31			615	00	04
32			888A	00	14
33	<u>10. Pullur</u>	Khajipet	77/A5	00	10
34			77/A6	00	09

[F. No. R-11025/(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का. आ. 1040(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4530(अ) तारीख 08 दिसंबर, 2020, जो भारत के राजपत्र तारीख 14 दिसंबर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24.12.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ; और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : वैएसअर				राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. मामिल्लपल्ले	चिंतकौम्मदिन्ने	297	00	02
2			361	00	02
3			354	00	10
4			394/1ए	00	01
5			395/4	00	01
6			552	00	15
7			553	00	03
8	2. बुग्गलपल्ले	चिंतकौम्मदिन्ने	372/2	00	20
9			372/3	00	19
10			372/4	00	35
11	3. इप्पपेट	चिंतकौम्मदिन्ने	113	00	10
12			560/1	00	03
13	4. चिन्नकामपल्ले	चिंतकौम्मदिन्ने	36/2बी2ए	00	08
14			45/4	00	23
15			47/2	00	28
16			63	00	03
17			64/2ए2	00	01
18			85	00	08
19			111	00	03
20	5. पेदकामपल्ले	चिंतकौम्मदिन्ने	3/3	00	05

21	6. कोलुमुलपल्ले	चिंतकौम्मदिन्ने	477	00	08
22			478	00	06
23			866/1	00	23
24			866/2	00	23
25			866/3	00	23
26			866/4	00	03
27			866/5	00	20
28			866/8	00	20
29			867/2	00	46
30	7. गुवल चेळुवु	रामापुरम	140/2	00	64
31	8. गोपगुडिपल्ले	रामापुरम	926/3	00	09
32	9. चिटलूर	रामापुरम	814	00	09
33			854	00	33
34	10. बन्डलपल्ले	रामापुरम	558	00	07
35			559	00	03
36			708	00	04
37			1012	01	00
38	11. सुदमल्ल	रामापुरम	362/1	00	11
39			362/3	00	28
40			362/4	00	21
41			365/8बी	00	19
42			1070	00	19
43	12. अनन्तपुरम	लक्कीरेड्डीपल्ले	45	00	05
44			46/2	00	06
45			47/1बी	00	13
46			275/2	00	08
47			280/8	00	35
48			280/16	00	05
49	अनन्तपुरम	रामापुरम	317/2	00	05
50			321	00	02
51	13. मासपेट	रायचोटी	340/1	00	02

52			342	00	23
53			935	00	05
54			1171/4	00	42
55			1199/1	00	25
56	14. रायचोटी	रायचोटी	59/1	00	02
57			166	00	17
58			365/2	00	11
59			521	00	02
60			526	00	10
61	15. नारायनरेड्डीपल्ले	सम्बेपल्ले	113/2	00	08
62			203/1	00	85
63			213	00	23
64			252/2	00	32
65			261/13	00	42
66			447/2ए	00	08
67			489/4ए	00	15
68			489/4बी	00	04
69			203/28	00	04
70			522/6	00	42
71			563/2बी	00	21
72	16. देवपटल	सम्बेपल्ले	146	00	30

[फा. सं. आर-11025/(15)/6/2017-ओ.आर-I/ई-18464]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 1040(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4530(E) dated the 8th December, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 14th December, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product, from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 24.12.2020.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : YSR			State : Andhra Pradesh		
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	1. Mamillapalle	Chinthakommadinne	297	00	02
2			361	00	02
3			354	00	10
4			394/1A	00	01
5			395/4	00	01
6			552	00	15
7	Mamillapalle	Chinthakommadinne	553	00	03
8	2. Boggalapalle	Chinthakommadinne	372/2	00	20
9			372/3	00	19
10			372/4	00	35
11	3. Ippapenta	Chinthakommadinne	113	00	10
12			560/1	00	03
13	4. Chinnakampalle	Chinthakommadinne	36/2B2A	00	08
14			45/4	00	23
15			47/2	00	28
16			63	00	03
17			64/2A2	00	01
18			85	00	08
19			111	00	03
20	5. Peddakampalle	Chinthakommadinne	3/3	00	05
21	6. Kolumulapalle	Chinthakommadinne	477	00	08
22			478	00	06
23			866/1	00	23
24			866/2	00	23
25			866/3	00	23
26			866/4	00	03
27			866/5	00	20
28			866/8	00	20
29			867/2	00	46
30	7. Guvvalacheruvu	Ramapuram	140/2	00	64
31	8. Gopagudipalle	Ramapuram	926/3	00	09
32	9. Chitlur	Ramapuram	814	00	09
33			854	00	33
34	10. Bandlapalle	Ramapuram	558	00	07
35			559	00	03
36			708	00	04
37			1012	01	00

38	11. Suddamalla	Ramapuram	362/1	00	11
39			362/3	00	28
40			362/4	00	21
41			365/8B	00	19
42			1070	00	19
43	12. Ananthapuram	Lakkireddipalle	45	00	05
44			46/2	00	06
45			47/1B	00	13
46			275/2	00	08
47			280/8	00	35
48			280/16	00	05
49			317/2	00	05
50			321	00	02
51	13. Masapet	Rayachoti	340/1	00	02
52	Masapet	Rayachoti	342	00	23
53			935	00	05
54			1171/4	00	42
55			1199/1	00	25
56	14. Rayachoti	Rayachoti	59/1	00	02
57			166	00	17
58			365/2	00	11
59			521	00	02
60			526	00	10
61	15. Narayanareddipalle	Sambepalle	113/2	00	08
62			203/1	00	85
63			213	00	23
64			252/2	00	32
65			261/13	00	42
66			447/2A	00	08
67			489/4A	00	15
68			489/4B	00	04
69			203/28	00	04
70			522/6	00	42
71			563/2B	00	21
72	16. Devapatla	Sambepalle	146	00	30

[F. No. R-11025/(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का. आ. 1041(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विजयवाडा (आन्ध्र प्रदेश) से धर्मपुरी (तमिलनाडु) पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन कृष्ण जिला, आन्ध्र प्रदेश राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, विजयवाड - धर्मपुरी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, प्लॉट नं : 80, मकान नं : 59A-8/5-7A वासवि नगर, रास्ता नं-5, गुरुनानक रास्ता, फन टाइम्स कल्ब के पास, विजयवाड -520008 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : कृष्ण				राज्य : आन्ध्र प्रदेश	
क्रम सं.	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. कवलूरु	जि. कोंडूरु	36/2बी3ए	00	01
2			36/2बी1	00	01
3			10/2बी	00	01
4			55/2ए	00	19
5	2. गड्डमनगु	जि. कोंडूरु	191/1	00	05
6	3. चरवु माधवरम	जि. कोंडूरु	160/1बी	00	03
7			160/1सी	00	02
8			136/3सी3	00	01
9			133/3	00	01
10	4. मूनगपाडु	जि. कोंडूरु	164	00	01
11			111/1बी2सी	00	01
12			119	00	03
13	5. सुन्नंपाडु	जि. कोंडूरु	126	00	01
14			123	00	01
15			115/2बी2	00	05
16			86/2बी	00	03
17			86/2ए2	00	02
18	6. तल्लदेवरपाडु	जि. कोंडूरु	37	00	08
19			13/1	00	02
20	7. दुगिरालपाडु	जि. कोंडूरु	155/2ए	00	02
21			140	00	27

22			141/1	00	07
23			133	00	10
24			82/2	00	02
25	8. लक्ष्मीपुरम	विठ्ठलपाडु	36/1ए	00	04
26	9. तोटराबुलपाडु	चंदरलपाडु	32/5	00	02
27			29/1	00	02

[फा. सं. आर-11025/(15)/6/2017-ओ.आर-1/ई-18464]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th Februry, 2021

S. O. 1041(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Vijayawada (Andhra Pradesh) to Dharmapuri (Tamil Nadu) Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Krishna District in Andhra Pradesh State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority, Vijayawada-Dharmapuri Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, Plot No: 80, Door No: 59A-8/5-7A, Vasavi Nagar, 5th Road, Gurunanak Road, Near Fun times Club, Vijayawada-520008, Andhra Pradesh.

SCHEDULE

District : Krishna				State : Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	1.Kavuluru	G.Konduru	36/2B3A	00	01
2			36/2B1	00	01
3			10/2B	00	01
4			55/2A	00	19
5	2.Gaddamanugu	G.Konduru	191/1	00	05
6	3.Chervu Madhavaram	G.Konduru	160/1B	00	03
7			160/1C	00	02
8			136/3C3	00	01
9			133/3	00	01
10	4.Munagapadu	G.Konduru	164	00	01
11			111/1B2C	00	01
12			119	00	03
13	5.Sunnampadu	G.Konduru	126	00	01

14			123	00	01
15			115/2B2	00	05
16			86/2B	00	03
17			86/2A2	00	02
18	6.Talladevarapadu	G.Konduru	37	00	08
19			13/1	00	02
20	7.Duggiralapadu	G.Konduru	155/2A	00	02
21			140	00	27
22			141/1	00	07
23			133	00	10
24			82/2	00	02
25	8.Lakshmipuram	Virullapadu	36/1A	00	04
26	9.Totaravulapadu	Chandarlapadu	32/5	00	02
27			29/1	00	02

[F. No. R-11025/(15)/6/2017-OR-I/E-18464]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.